भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अम्ब्रेला स्कीम भारतीय परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग का गया जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 26.11.2022 को अपराह्न 01:30 बजे टाउन हॉल, थाना मोड़, इमामगंज, अनुमंडल–शेरघाटी, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/12/2022-IA.III, dated 09.05.2022 (प्रस्ताव संख्या IA/BR/NCP/253270)के आलोक में श्रीमति आरूप, वरीय उप समाहर्त्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 26.11.2022 को अपराह्न 01:30 बजे टाउन हॉल, थाना मोड़ इमामगंज, अनुमंडल–शेरघाटी, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, सोन वर्षा वाणी, नवबिहार टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 21.10.2022 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 25.11.2022 एवं 26.11.2022 को Miking द्वारा भी लोक–सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित राजमार्ग गया जिला के दो तहसील (डुमरिया एवं इमामगंज) के गाँव से होकर गुजरती है। वर्तमान परियोजना का दायरा गया जिला में चैनल–149+900 से चैनल–184+400 तक सीमित है (लगभग 34.50 किलोमीटर)। यह एक हरित क्षेत्र संरेखण है और 4/6 लेन के लिए प्रस्तावित है।

प्रस्तावित सड़क परियोजना का मुख्य उदेद्श्य बिहार राज्य में दूरी और यात्रा के समय को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को जोड़ना है। परियोजना इन क्षेत्रों के विकास पर जोर देती है और इन्हें संसाधनों के साथ उपलब्ध कराती है।

इस परियोजना के अनेकों लाभ है:–

- प्रस्तावित संरेखण वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद जिले में तेतरहार गांव से गया जिले में शाहपुर गांव को जोड़ रहा है।

- इस परियोजना के आस पास के क्षेत्र में आने वाले गाँवों–कस्बो की आर्थिक उन्नति होगी।
- कृषि बाजार पहुंच में सुविधा होगी।
- औद्योगिक संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्तावित सड़क परियोजना के आस पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के निर्माण में बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्तावित सड़क परियोजना के आस पास के लोगो को योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

इस परियोजना राजमार्ग की प्रस्तावित लम्बाई (गया जिला में) लगभग 34.50 किलोमीटर है। कुल अधिग्रहित भूमि 270.0391 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 36.8276, निजी भूमि 137.7565 एवं वन भूमि 100.455 हेक्टेयर) है। संरेखण किसी वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से नहीं गुजरता है। परियोजना के दौरान प्रमुख पुल (03), छोटे पुल (05),छोटे पुल सह अंडरपास (05), वाहन अंडरपास (03), एलवीयूपी (14), फ्लाईओवर (02), बॉक्स कल्वर्ट्स (68) एवं एलिवेटेड रोड (06) का निर्माण प्रस्तावित है।

कुल पानी की आवश्यकता 2650 किलोलीटर/दिन होगी।

निर्माण सामग्री में कोर्स एग्रीगेट 5140000 घन मी0, फाइन एग्रीगेट 1027900 घन मी0, स्टील– 3000 टन, सीमेंट 93700 टन, बिटुमेन 1864350 टन एवं बिटुमेन इमल्शन 967500 टन, मोटी रेत–900 घन मी0 एवं मिट्टी/फलाई ऐश– 4837200 घन मी0 का उपयोग प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रू0 2792 करोड़ होगा।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)–परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाईन किया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित है:–

1. देशी वनस्पतियों और जीवों, यदि कोई हो, को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण, यदि कोई हो, को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ वृक्षारोपण I.R.C. SP21 2009 एवं हरित राजमार्ग नीति 2015के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनो तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

प्रस्तावित संरेखन किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व से नहीं गुजरता है और न ही इसके पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र में आता है, हालांकि यह अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 10 किमी के भीतर आता है। वन्यजीव अभयारण्य (कैमूर वन्यजीव अभयारण्य) का निकटतम ESZ जो लगभग प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से 5.52 किमी दूरी पर है। साथ ही लगभग 14.7 किमी प्रस्तावित परियोजना संरक्षित वन से होकर गुजरती है, लगभग

प्रस्तावित हाईवे के कारण 88.2 हेक्टेयर वनभूमि का अधिग्रहण किया जाना है। शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामाग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामाग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को प्रदूषण नियत्रंण उपकरणो के साथ नियमित रख–रखाव करते हुए संचालित किया जाएगा और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद् से सहमति प्राप्त की जाएगी।

निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः–

1. श्री सत्येंद्र नाथ, पिता– स्वर्गीय विंदेश्वरी सिंह, ग्राम–बसेटा, अंचल–इमामगंज, जिला–गया ने कि बसेटा गावँ में एक जंक्शन प्रस्तावित है जिसमें बहुत अधिक भूमि और लगभग 20 घरों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इतनी जमीन क्यों अधिग्रहित की जा रही हैं और हमें क्या मुआवजा दिया जाएगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि प्रारंभिक प्रस्ताव 120मी0 रास्ते की भूमि का अधिग्रहण करना था। तद्नुसार एन0एच0 की धारा 3A के तहत् राजपत्र अधिसूचना अधिनियम, 1956 प्रकाशित किया गया है। लेकिन बाद में गैर–वन क्षेत्रों में प्रस्तावित Right of way को घटाकर 70मी0 कर दिया गया है और धारा 3D के तहत् राजपत्र अधिसूचना 70मी0 के Right of way के अनुसार प्रकाशित की जाएगी। गया जिले में परियोजना सड़क के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बसेटा गाँव में एक जंक्शन का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें IRC के अनुसार जंक्शन के डिजाइन को समायोजित करने के लिए 70मी0 से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

परियोजना अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण सक्षम पदाधिकारी भू–अर्जन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास और स्थानांतरण (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 के उचित प्रावधानों और राज्य सरकार के संशोधनों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर लागू आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 1 अनुसार मुआवजे का निर्धारण, अनुसूचि 2 अनुसार पुनर्वास और स्थानांतरण सहयता का निर्धारण किया जायेगा। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा।

2. श्री प्रेमचंद सिंह, पिता– स्वं छेदी सिंह, ग्राम–रोंधा, जिला–गया ने मुद्दा उठाया कि परियोजना सड़क के निर्माण के लिए कई पेड़ काटे जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पैदा होगा। इस संबंध में प्रस्तावित उपाय क्या है?

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि वन विभाग की नीति के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना स्थल का केवल निर्माण अवधि के दौरान हवा और शोर पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि निर्माण चरण के दौरान परिवेशीय वायु प्रदूषण और ध्वनि स्तर में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। मिट्टी के काम और निर्माण सामाग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामाग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को प्रदूषण नियत्रंण उपकरणो के साथ नियमित रख–रखाव करते हुए संचालित किया जाएगा।

3. श्री शुभम कुमार, पिता– श्री सत्येन्द्रनाथ सिंह, ग्राम–बसेटा, जिला–गया ने मकान के ढाँचे व जमीन के मुआवजे का मामला उठाया और पूछा कि मुआवजे का दर क्या होगी। उन्होंने बसेटा में अवस्थित तालाब को विकसित करने का भी सुझाव दिया, जो सड़क परियोजना से प्रभावित हो सकती है।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। बसेटा गाँव में अवस्थित तालाब को विकसित किया जाएगा।

4. श्री राम प्रताप सिंह, ग्राम–रौंधा, जिला–गया ने Right of way का सीमांकन करने और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि Right of way का सीमांकन 2–3 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा और सभी संबंधित आम–जनता को सूचित कर दिया जाएगा।

5. श्री सीताराम, पिता–श्री अवधेश सिंह, ग्राम–बसेटा, जिला–गया ने पूछा कि भूमि अधिग्रहण खेसरा से किया जायेगा या चकबन्दी से।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि भूमि अधिग्रहण चकबन्दी से किया जायेगा।

6. श्री योगेन्द्र प्रजापति, पिता– स्वर्गीय जदु प्रजापति, ग्राम–बंदोहरी, जिला–गया ने बताया कि गाँव के मोड़ पर सड़क पर वाहन नहीं मुड़ते हैं। कृपया सड़क और वक्र में सुधार किया जाय।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि चूंकि गाँव की सड़कें NHAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। अतः इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार से संपर्क किया जा सकता है।

7. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, श्री शुभम कुमार एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा लोकसुनवाई के दौरान लिखित सुझाव/मंतव्य उपलब्ध कराये गये, जिसकी प्रति संलग्न है (अनुलग्नक–2)।

जन सुनवाई के दौरान जनता की प्रमुख सुझाव प्रस्तावित परियोजना सड़क के लिए अधिग्रहित की जा रही उनकी भूमि के मुआवजे से संबंधित पायी गयी। हालाँकि, जनता प्रस्तावित परियोजना के पक्ष में थी। अधिकांश जनता ने अपने गाँवों में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के संबंध में सक्षम प्राधिकार के साथ एक अलग बैठक बुलाने की मांग की। अध्यक्ष महोदया ने जनता के संदेश को जिलाधिकारी, गया के स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

अध्यक्ष महोदया द्वारा बताया गया कि परियोजना के दौरान स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो एवं स्थानीय लोगो को रोजगार मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

8-12-22

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

08/12/22

वरीय उप समाहर्त्ता
गया

उपस्थिति सूची

मे० भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया (विहार) द्वारा भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी-कोलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क विकास परियोजना का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.11.2022 को अपराह्न 01:30 बजे लोक सुनवाई का स्थलः टाउन हॉल, थाना मोड़ इमामगंज, थाना-इमामगंज, अनुमंडल-शेरघाटी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	आरुप	वरीय उपसमाहर्ता, गया	[signature] 26/11/22
2.	आशीष कुमार गुप्ता	र० पदा० बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया	[signature] 26-11-22
3.	[illegible] कुमार	थाना मोड़, इमामगंज	[signature] 26.11.22
4.	कुमार चित्रांश	प्रबंधक (तक०), NHAI PIU-Gaya	[signature] 26/11/22
5.	रवि शंकर	राजस्व अधिकारी इमामगंज	[signature] 26/11/22
6.	राधेश्याम गंगवार	DPR Consultants SA Infra Con. Pvt Ltd. Noida	[signature] 26/11/22
7.	उपेन्द्र कुमार	DPR Consultant. SA Infra Cons. Pvt Ltd Noida	Upendra
8.	राजेश कुमार विश्वास	Environment Consultant P&M Solution, Noida. U.P.	Rajesh
9.	संतोष पाण्डेय	ग्राम - ओलिपुर [illegible] बैजा [illegible] औरंगाबाद	
10.	[illegible] माधवी [illegible] पुत्र प्रदीप कुमार सिंह	[illegible]	

11.	[illegible]	Basetta Imamganj Gaya	
12.	Rajesh Kumar Prajapati	Ramdopasi Dupahal Imamganj.	
13.	Manoj Singh	Imamganj / Kosh	
14.	Chandan Kumar.	Koryha / Imamganj	
15.	[illegible]	[illegible]	
16.	उदय सिंह	बसेता इमामगंज	
17.	Sushant Kumar	Basetta Imamganj	
18.	मनोज कुमार	दुबहल	
19.	परशुरामसिंह	रोशन	
20.	Anuj Kumar		
21.	Santosh. Kumar.		
22.	Chhotu [illegible]		
23.			
24.	शिवधारी प्रजापति		
25.	बजरंगी प्रजापति	दुबहल रोशन बरोवरी	

26.	Pankaj Kumar	Bandohari	
27.	कमलेश कुमार		
28.	कंचन सिंह	बसेटा	
29.	सोना राम सिंह	बसेटा	
30.	सुगम विश्वकर्मा	डुवहल	
31.	उज्वलकुमार सिंह रामप्रताप सिंह	सेंघा सेंघा	
32.	योगेन्द्र प्रसाद	बन्दोहरी	
33.	[illegible]		
34.	Sanjeet Kumar	Bandohari	
35.	मोआ फीर प्रसाद	बन्दोहरी	
36.	रामचन्द्र सिंह		
37.	Sanjit Kr. Singh	(Baseta)	
38.	[illegible]		
39.	उपेन्द्र प्रसाद		
40.	जगमोहन प्रसाद	बन्दोहरी	

41.	मनोज कुमार यादव	बन्धोहरी	
42.	राजेन्द्र प्रसाद		
43.	शंकर सिंह	बलेवा	
44.	Rama	Raghu	
45.	देवव्रत सिंह	रौंधा	
46.	नन्दकिशोर सिंह	रौंधा	
47.	जितेन्द्र कुमार सिंह	रौंधा	
48.	वासुदेव प्रजापत	बन्धोहरी	
49.	उपेन्द्र कुमार	बन्धोहरी-हुबहल	
50.	अखिलेश तिवारी	हुबहल	
51.	रामचरित्र महतो	हुबहल	
52.	प्रमोद कुमार सिंह	बलेवा	
53.	अर्जुन प्रजापत	बन्धोहरी	
54.	उपेन्द्र प्रजापत	ग्राम बन्धोहरी	
55.	रविरंजन सिंह	रांधा	

56.	भगवान सिंह	बसेरा	
57.	राहुल कुमार	बसेरा	
58.	चन्दन कुमार	बसेरा	
59.	Shubham Kumar	Basera	
60.	Satyendra · Nr Singh Mob · 9955839258	Basera.	
61.	राम रतन प्रजापत	ग्रा० भलदारी टोला कादीरगंज 6204771267	राम रतन प्रजापत
62.	इन्देला पासवान	इमामगंज जमीन्दोह 9973592737	
63.	Shambhu Nath Jha A · B · E	Bihar State pollution Control Board. 9931448222	Jha
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			